

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2024/1677

दिनांक:- 16/5/2025

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में दिनांक 31.01.2025 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र. सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगर पालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	बारां	1.	न.प. बारां	13
2.	धौलपुर	2.	न.प. धौलपुर	53
3.	हनुमानगढ़	3.	न.पा. पीलीबंगा	अध्यक्ष
4.	झालावाड	4.	न.पा. झालरापाटन	13
		5.	न.पा. अकलेरा	05 (अध्यक्ष)
5.	जोधपुर	6.	न.पा. पीपाडशहर	30
6.	झुन्झुनू	7.	न.पा. विद्याविहार	11
7.	कोटपुतली-बहरोड	8.	न.पा. कोटपुतली	17
8.	कोटा	9.	न.पा. रामगंजमण्डी	27
9.	नागौर	10.	न.पा. कुचेरा	17
		11.	न.पा. मेडता	उपाध्यक्ष
10.	सीकर	12.	न.पा. लक्ष्मणगढ़	09
11.	श्रीगंगानगर	13.	न.पा. करणपुर	23
12.	सलूमबर	14.	न.प. सलूमबर	14

उक्त रिक्त पदों हेतु उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

➤ सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	21.05.2025 (बुधवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	26.05.2025 (सोमवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	27.05.2025 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	30.05.2025 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	31.05.2025 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	08.06.2025 (रविवार) प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	09.06.2025 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

➤ अध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	10.06.2025 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	11.06.2025 (बुधवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	12.06.2025 (गुरुवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	13.06.2025 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	13.06.2025 (शुक्रवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	16.06.2025 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	16.06.2025 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ उपाध्यक्षीय पदों के लिए

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	निर्वाचन की तिथि	17.06.2025 (मंगलवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय-सारणी	
	बैठक का प्रारंभ	प्रातः 10:00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	प्रातः 11:00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11:30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2:00 बजे तक
	मतदान यदि अवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5:00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

उक्त निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3913 दिनांक 12.09.2014 के अनुसार सम्पन्न करवाये जायें।

• मतदाताओं की पहचान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (आयोग के आदेश क्रमांक 559 दिनांक 07.02.2019)

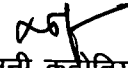
इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे

कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

● आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

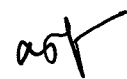
आज्ञा से,


(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2024/1678-1686
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 16/5/2025

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
3. अतिरिक्त सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, राज., जयपुर।
7. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
9. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, झालावाड, जोधपुर, झुन्झुनू, कोटपुतली-बहरोड, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर, सलुम्बर।


(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव